अति–आवश्यक

सत्यमेव जयते

राजस्थान सरकार

ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग

(पंचायती राज विभाग)

विकास खण्ड, शासन सचिवालय, जयपुर दूरभाष नं. 0141–2227884, ई–मेल : seprd1235@gmail.com

क्रमांकःएफ 4(244)पार्ट–II/परावि/पी.सी./JJY/विद्युत–व्यय/ 17–18/ 874 जयपुर, दिनांक 15/04/19

मुख्य कार्यकारी अधिकारी,
जिला परिषद,
समस्त ।

विषयः–ग्रामीण क्षेत्रो में स्थित सिंगल फैस एवं थ्री फैस ट्यूबवेल में विद्युत कनेक्शन सुनिश्चित करने बाबत।

महोदय,

यह जानकारी में लाया गया है कि कई जल स्त्रोतो पर विद्युत कनेक्शन नही हुआ है। विद्युत कनेक्शन के अभाव में जल स्त्रोत पर किये गये व्यय की कोई उपयोगिता नहीं है एवं यह राशि निष्फल व्यय की श्रेणी में आती है । जल स्त्रोतो पर व्यय की जा चुकी राशि/संभावित व्यय राशि का समुचित उपयोग सुनिश्चित करने हेतु आपको निर्देशित किया जाता है कि :–

1. परिशिष्ठ–1 में अंकित जल स्त्रोतो की सूचना जिला परिषदों द्वारा कुछ समय पूर्व मुख्यालय को उपलब्ध कराई गई थी।अतः यह संभव है कि बाद में विद्युत कनेक्शन हेतु आवेदन कर देने के कारण इस सूचना में से कुछ संशोधन हो। अतः दिनांक 31.03.19 तक स्वीकृत हो चुके कार्यो में पूर्ण हो चुके प्रत्येक जल स्त्रोत में विद्युत कनेक्शन के लिए आवेदन करना अथवा आगे पूर्ण होने वाले प्रत्येक जल स्त्रोत (जिसमें विद्युत कनेक्शन के लिए आवेदन नहीं किया गया है) मे विद्युत कनेक्शन के लिए आवेदन करना एवं विद्युत कनेक्शन लेना सुनिश्चित करावें। यदि संबंधित जल स्त्रोत के आस पास वर्तमान में ग्राम पंचायत के नाम से कोई विद्युत कनेक्शन लिया हुआ है, तो उससे नवीन जल स्त्रोत को भी जोड़ा जावे ।
2. भविष्य में स्वीकृत होने वाले जल स्त्रोत का जैसे ही निर्माण पूर्ण कराया जाता है, इसमें तत्काल विद्युत कनेक्शन कराना सुनिश्चित करावें ।
3. कार्य की प्रशासनिक, तकनीकी एवं वित्तीय स्वीकृति में ही विद्युत कनेक्शन के लिए राशि का प्रावधान किया जावे। यदि किसी स्वीकृतिकर्ता द्वारा विद्युत कनेक्शन के लिए आवश्यक राशि का प्रावधान किये बिना कार्य के स्वीकृति प्रदान की जाती है तो संबंधित कार्य पर व्यय को निष्फल मानते हुए इस राशि का सम्पूर्ण उत्तर दायित्व संबंधित स्वीकृतिकर्ता प्राधिकारी का होगा ।
4. कार्य पूर्ण होते ही अधिकतम 15 दिन में विद्युत कनेक्शन के लिए आवेदन किया जावे। विद्युत वितरण निगम लि0 से डिमाण्ड नोट प्राप्त होते ही इसकी राशि जमा होना सुनिश्चित करावें । किसी भी स्थिति में यह तर्क स्वीकार्य नहीं होगा कि डिमाण्ड नोट की राशि अधिक प्राप्त होने के कारण कार्य पर विद्युत कनेक्शन नहीं हो पा रहा है। अतः डिमाण्ड नोट की संभावित राशि की जानकारी विद्युत वितरण निगम लि0 से प्राप्त की जावे एवं इस राशि का स्वीकृति में प्रावधान किया जावें ।

5. जल स्त्रोत का कार्य पूर्ण होने से लगभग 15 दिन में विद्युत कनेक्शन के लिए आवेदन नहीं करने अथवा डिमाण्ड नोट की राशि 15 दिन में जमा नहीं करने की स्थिति में जल स्त्रोत पर व्यय की गई राशि को निष्फल मानते हुए कार्यकारी संस्था से पूर्ण रूप से वसूल किया जाना सुनिश्चित करावे।
6. कार्य का पूर्णता प्रमाण पत्र तभी जारी किया जावे जब इस पर नियमानुसार विद्युत कनेक्शन स्थापित हो चुका हो।
7. भविष्य में जल स्त्रोत का कार्य तभी स्वीकृत किया जावे जब इस कार्य के मासिक रख–रखाव एवं बिजली का बिल नियमित रूप से जमा करने हेतु वित्तीय प्रावधान एवं संबंधित ऐजेन्सी का चिन्हीकरण कर लिया गया हो ।
8. विद्युत वितरण निगम लि0 से ग्राम पंचायत के नाम प्राप्त होने वाले बिजली के बिलों का मासिक भुगतान यथा समय सुनिश्चित किया जावे । निर्धारित अविध में राशि जमा नहीं होने की स्थिति में अदा की जाने वाली शासती के लिए संबंधित ग्राम पंचायत उत्तरदायी होगी ।
9. उपयुक्त विद्युत कनेक्शन के अभाव में विद्युत वितरण निगम लि0 द्वारा किसी प्रकार की विधिक कार्यवाही की जाने की स्थिति में सम्पूर्ण उत्तरदायित्व ग्राम पंचायत (सरपंच एवं ग्राम विकास अधिकारी) का होगा।
10. दिनांक 31.03.2019 तक निर्मित जल स्त्रोत जिसमें विद्युत कनेक्शन किया जाना शेष है, की सूचना निम्न प्रारूपानुसार ई–मेल **seprd1235@gmail.com** पर अविलम्ब भिजवाना सुनिश्चि करावें ।

	जिला	ट्यूबवैल एवं जल स्त्रोत की संख्या जिनमें नियमानुसार विद्युत कनेक्शन नहीं हुए है	कॉलम संख्या 3 में अंकित स्त्रोतों में ऐसे स्त्रोतों की संख्या जहां पर विद्युत कनेक्शन हेतु आवेदन किया जा चुका है	विद्युत कनेक्शन नहीं लेने का कारण
1	2	3	4	5

11. उपरोक्त निर्देश विभाग की किसी भी योजना से वित्त पोषित होने वाले निर्माण कार्यो पर लागू होगें ।

ग्रामीण क्षेत्रों में वर्तमान में स्थित सिंगल फैस एवं थ्री फैस ट्यूबवेल जिसमें विद्युत कनेक्शन शेष है एवं भविष्य में स्वीकृत होने वाले प्रत्येक कार्य में विद्युत कनेक्शन की उपलब्धता एवं उपरोक्त अंकित निर्देशो की पूर्ण पालना सुनिश्चित करावें।

संलग्नः–**उपरोक्तानुसार (परिशिष्ट–1) ।**

भवनिष्ठ,

12/4

(आशुतोष ए.टी. पेडणेकर)
शासन सचिव एवं आयुक्त,

प्रतिलिपिः–निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः––
1. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज ।
2. अध्यक्ष, विद्युत वितरण निगम लि0, जयपुर ।
3. निजी सचिव, विशिष्ठ शासन सचिव, ग्रामीण विकास विभाग, जयपुर ।
4. मुख्य अभियन्ता, जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी विभाग, जयपुर ।
5. अति0 मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, **समस्त** ।
6. विकास अधिकारी, पंचायत समिति, **समस्त** ।
7. ए.सी.पी. पंचायती राज को पार्टल पर अपलोड करने बाबत ।

अधीक्षण अभियन्ता

परिशिष्ट -1[illegible]-

पत्रावली सं. एफ 4(244) पराविं/पीसी/जजयो/विद्युत व्यय/2016 के विभागीय पत्रांक 38 दिनांक 06.01.2017 के अनुसार ग्रामीण क्षेत्रों में स्थित सिंगल फेज एवं थ्री फेज ट्यूबवेल, जिनमें विद्युत कनेक्शन शेष है के संबंध में जिला परिषदों से प्राप्त सूचना के आधार पर संकलित विवरण :-

(11.04.2019 तक)

क्र. सं.	जिला	ट्यूबवेल एवं जल स्त्रोतों की संख्या जिनमें विद्युत कनेक्शन नहीं हुये हैं	कॉलम संख्या 3 में अंकित स्त्रोंतों में स्त्रोंतो की संख्या जहां पर विद्युत कनेक्शन हेतु आवेदन किया गया है	विद्युत कनेक्शन नहीं लेने का प्रमुख कारण
1.	अजमेर	193	10	बजट अभाव के कारण
2.	बून्दी	1056	125	बोरिंग सूख जाने के कारण, विद्यतु विााग में फाईल जमा, जल स्त्रोत बन्द एवं ग्रामवासियों द्वारा अपने घरेलू कनेक्शन द्वारा संचालित इत्यादि
3.	बाडमेर	00	00	
4.	चूरु	271	44	पर्याप्त बजट नहीं होने के कारण
5.	दौसा	241	47	ग्राम पंचायत में विद्युत बिलों के भुगतान हेतु पर्याप्त राशि प्राप्त नहीं होना
6.	धौलपुर	01	01	नई बोरिंग होने के कारण
7.	चित्तौडगढ	687	275	बजट का अभाव आदि
8.	गंगानगर	03	00	विद्युत लाईन दूर होने के कारण अधिक सिक्यूरिटी अधिक होने के कारण
9.	झालावाड	417	128	बजट अभाव के कारण, ग्रामवासियों द्वारा रखरखाव के कारण
10.	जोधपुर	02	00	नलकूप खूदे हुये दो माह हूये है, विभाग ने फाईल नहीं चलाई
11.	जालौर	01	01	
12.	नागौर	01	00	स्वी.राशि 2.00 लाख है परन्तु डिमाण्ड नोटिस 2.27 लाखहै ।
13.	प्रतापगढ़	164	36	स्पष्ट दिशा निर्देश नहीं होना
14.	टोंक	177	86	बजट अभाव के कारण
		3214	753	